

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 24जून,2005/आषाढ़ 3, 1927(शक)

संख्या : 94

सदस्यों की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस, जिला नई दिल्ली, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, सर्वश्री डॉ. हर्ष वर्द्धन, मांगे राम गर्ग, रमेश बिधुड़ी, जगदीश मुखी, सुशील चौधरी, ओ.पी.बब्बर, साहब सिंह चौहान और मोती लाल सोढ़ी को, उनके समर्थकों के साथ दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत पुलिस के विधिपूर्ण निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के सामने प्रथम बैरिकेड्स पर दिनांक 21.6.2005 को 12.25 बजे (अपराह्न) नजरबंद किया गया।

उन्हें, उनके समर्थकों के साथ पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से उसी दिन अर्थात् 21.6.2005 को 12.45 बजे (अपराह्न) रिहा कर दिया गया” ।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday 24th June, 2005/3 Ashadha 1927 (Saka)

No.94

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :

"I have the honour to inform you that S/Sh.Harsh Vardhan, Mange Ram Garg, Ramesh Bidhuri, Jagdish Mukhi, Susheel Chaudhary, O.P. Babber, Sahab Singh Chauhan and Moti Lal Sodhi, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at the Ist Barricade in front of P.S. Parliament Street, New Delhi at 12.25 P.M. on 21.6.2005.

They alongwith their supporters were released at 12.45 P.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi, on the same day i.e. 21.06.2005."